-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना पैलानी पुलिस द्वारा सगी बहन की चाकू व बांका से वार कर हत्या करने वाले भाई को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू व बांका बरामद।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2025 को थाना पैलानी पुलिस द्वारा सगी बहन की चाकू व बांका से मारकर हत्या करने वाले भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 14.03.2025 को थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम खप्टिहाकला में सुशीला पत्नी रज्जू की उसके सगे भाई संतोष निषाद पुत्र बाबूलाल निषाद द्वारा चाकू व बांका से मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां पर डाक्टर द्वारा महिला को मृत घोषित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पैलानी में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित रुप से कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 15.03.2025 को अभियुक्त को थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम अलोना से गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बांका व घटना के समय अभियुक्त के पहने हुए रक्त रंजित कपड़े बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसकी मां ने 04 बीघा जमीन सुशीला के नाम रजिस्ट्री कर दी थी जिसे वह वापस करने के लिए कहता तो सुशीला मना कर देती थी तथा जमीन किसी और को बेचने की धमकी देती थी। अभियुक्त कई दिनों से अपनी बहन सुशीला को जान से मारने की योजना बना रहा था लेकिन मौका नहीं मिला क्योकि मृतका सुशीला परिवार सहित नागपुर में रहती थी। जब अभियुक्त को जानकारी हुई कि मृतका होली पर अपने घर खप्टिहाकला में आयी है तो वह होली पर मिलने के बहाने गया और अपनी बहन को घर में अकेला पाकर उसने धारदार चाकू व बांका से मारकर उसकी हत्या कर दी।

बरामदगी-

- 01 अदद् लोहे का बांका (आलाकत्ल)
- 01 अदद् चाकू (आलाकत्ल)
- 03 रक्त रंजित कपड़ा (अभियुक्त के कुर्ता, पैजामा व गमछा)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संतोष निषाद पुत्र बाबूलाल निवासी चक चटगन दरदा बड़ा डेरा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 45/25 धारा 333/103(1) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।